वर्णनकर्ता: इस वीडियो में शरणार्थी दावे की सुनवाई के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी और अपडेट हमारी वेबसाइट irb.gc.ca पर उपलब्ध है
संगीत: पूरे वीडियो में पीछे धीमा संगीत चलता है।
वर्णनकर्ता: जब आपका शरणार्थी संरक्षण दावा सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा, तो कैनेडा के इम्मिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड का रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न, या RPD, आपको या आपके काउंसल को एक दस्तावेज़ भेजेगा जिसे नोटिस टू अपीयर कहा जाता है। इस नोटिस में आपकी सुनवाई की तारीख, समय और स्थान निर्धारित किया गया है। यदि आपके पास काउंसल हैं, तो वे आपकी सुनवाई में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे।
वर्णनकर्ता: आपकी निजता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि सुनवाइयों में जो चर्चा की जाती है वह बहुत व्यक्तिगत होती है और अक्सर उस पर बात करना कठिन होता है। चाहे आपकी सुनवाई वर्चुअल रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से, यह निजी है। आपकी सुनवाई रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग की प्रति केवल आप, आपके काउंसल, या कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज़ एजेंसी, या इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा के मिनिस्टर काउंसल द्वारा ही मांगी जा सकती है। अब हम सुनवाई प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा वर्चुअल और व्यक्तिगत सुनवाई के बीच अंतरों पर प्रकाश डालेंगे।
वर्णनकर्ता: आम तौर पर सुनवाई तीन घंटे की अवधि के लिए निर्धारित की जाती है। मैंबर आमतौर पर सुनवाई के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप किसी भी समय ब्रेक की मांग कर सकते हैं। चिंता न करें, यदि इस समय के दौरान आपकी सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो मैंबर अनुरोध करेंगे कि आपकी सुनवाई जारी रखने के लिए कोई अन्य तिथि और समय निर्धारित किया जाए। जब सुनवाई शुरू होती है, मैंबर रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कहता है, “अब हम रिकॉर्ड पर हैं”। इसके बाद मैंबर अपना और सभी प्रतिभागियों का परिचय देते हैं। यदि कोई दुभाषिया है, तो मैंबर यह पुष्टि करता है कि आप और दुभाषिया एक-दूसरे को समझ सकते हैं। दुभाषिए पेशेवर होते हैं। उन्होंने हर बात की सही व्याख्या करने तथा कार्यवाही की निजी प्रकृति का पूर्ण सम्मान करने की शपथ ली है।
वर्णनकर्ता: वर्चुअल सुनवाई के लिए, मैंबर आपसे पूछता है कि आप कहां से जुड़ रहे हैं।

आपको अपने सामने कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मैंबर कोई दस्तावेज मांगे तो अपने साक्ष्य पास में रखें। मैंबर सुनवाई से जुड़े अन्य सभी लोगों से भी यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि वे कमरे में अकेले हैं और सुनवाई को अन्य लोग देख या सुन नहीं सकते। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया निष्पक्ष है और आपकी गोपनीयता सुरक्षित है।
वर्णनकर्ता: यदि आपको वर्चुअल सुनवाई के दौरान ऑडियो या वीडियो से संबंधित कोई समस्या आती है, तो आपको तुरंत मैंबर को बताना चाहिए। यदि आपका वर्चुअल सुनवाई से कनेक्शन टूट जाता है, तो आपको पुनः कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यदि इससे काम न चले तो तुरंत अपने नोटिस पर दिए गए नंबर पर RPD रजिस्ट्री से संपर्क करें।
वर्णनकर्ता: सुनवाई के दौरान, मैंबर उन सभी दस्तावेजों पर गौर करता है जिनका उपयोग आपकी सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में किया जाएगा। आपके या आपके काउंसल के पास साक्ष्य के रूप में RPD को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के सभी मूल संस्करण होने चाहिए। मैंबर भौतिक निरीक्षण के लिए RPD को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए भी कह सकते हैं। यदि यह वर्चुअल सुनवाई के दौरान होता है, तो मैंबर यह निर्देश देगा कि दस्तावेज कहां और कैसे भेजे जाएं।
वर्णनकर्ता: दस्तावेजों की समीक्षा हो जाने के बाद, मैंबर आपसे सच बोलने का वादा करने के लिए कहता है। इसके बाद मैंबर आपसे यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि आपके बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म की सामग्री पूर्ण, सत्य और सही है। आपकी सुनवाई रिकॉर्ड की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पूरे उत्तर रिकॉर्ड हो जाएं, स्पष्ट और ऊंची आवाज में बोलना महत्वपूर्ण है। इसके बाद, मैंबर बताते हैं कि सुनवाई किस प्रकार आगे बढ़ेगी और पूछताछ किस प्रकार होगी। इस

समय, वे आपको यह भी बताते हैं कि वे किन कानूनी मुद्दों के बारे में, यदि कोई हो, अधिक जानकारी चाहते हैं।

वर्णनकर्ता: यहां कुछ कानूनी मुद्दों के उदाहरण दिए गए हैं जिन पर आपकी सुनवाई के दौरान विचार किया जा सकता है।

पहचान एक संभावित कानूनी मुद्दा है।

पहचान का अर्थ है यह साबित करना कि आप कौन हैं और किस देश के नागरिक हैं।

यदि आप किसी देश के नागरिक नहीं हैं, तो आपको यह साबित करना होगा कि आप सामान्यतः कहां रहते थे। इसकी पुष्टि आमतौर पर उस सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेजों के माध्यम से की जाती है जहां आप रहते थे।

वर्णनकर्ता: एक अन्य कानूनी मुद्दा विश्वसनीयता का है। क्या आप सच बोल रहे हो?

यही कारण है कि आपसे सुनवाई के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके उत्तर मैंबर को यह निर्णय लेने में सहायता करते हैं कि आपके द्वारा बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म और अन्य दस्तावेजों में दी गई जानकारी सत्य है या नहीं।

वर्णनकर्ता: राज्य संरक्षण एक अन्य कानूनी मुद्दा है।

क्या आपके देश की पुलिस और अन्य प्राधिकारी, जैसे सरकार या न्याय प्रणाली, आपको नुकसान से बचाने में सक्षम हैं?

क्या आपने अपने देश में मदद मांगी?

ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि कैनेडा आपको सुरक्षा तभी दे सकता है, जब आप यह साबित कर सकें कि आपको अपने देश में सुरक्षा नहीं मिल सकती।

वर्णनकर्ता: एक अन्य कानूनी ममुद्दा है, जिसे आंतरिक उड़ान विकल्प कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, क्या आपके देश में कोई अन्य स्थान है जहां आप सुरक्षित रह सकें?

क्या आपकी परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि आप कैनेडा में रहने के बजाय अपने देश में कहीं और रहें?

वर्णनकर्ता: अब आइए देखें कि प्रश्न पूछना कैसे काम करता है। आपकी सुनवाई के दौरान आपसे

आपके दावे के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके उत्तरों को आपकी “गवाही” कहा जाता है। पूछताछ का उद्देश्य मैंबर को अधिक जानकारी देना है ताकि उन्हें आपके दावे के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके । यदि आप दुभाषिए का उपयोग कर रहे हैं, तो छोटे वाक्यों में बोलने का प्रयास करें। इससे अधिक सटीक व्याख्या संभव होती है। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो मैंबर को बताएं कि आपको समझ में नहीं आया।
वर्णनकर्ता: यदि इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा या कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज़ एजेंसी आपकी सुनवाई में भाग ले रही है, तो वे आमतौर पर पहले आपसे प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद मैंबर आपसे प्रश्न पूछेंगे। और तब आपका काउंसल आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यदि आपका प्रतिनिधित्व कोई काउंसल नहीं कर रहा है, तो मैंबर आपको वह सब कुछ बताने का अवसर देता है जो आपको लगता है कि आपके केस के समर्थन में है। इसके बाद मैंबर आपसे कुछ फॉलो-अप प्रश्न पूछ सकते हैं।
वर्णनकर्ता: यदि आप अपनी सुनवाई में कोई गवाह लेकर आते हैं, तो मैंबर आमतौर पर आपकी सुनवाई समाप्त होने के बाद उनसे गवाही देने के लिए कहते हैं। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, गवाह तब तक प्रतीक्षा कक्ष में रहते हैं जब तक कि साक्ष्य देने की उनकी बारी न आ जाए। वर्चुअल सुनवाई के लिए गवाहों को एक विशेष समय पर सुनवाई से जुड़ने के लिए कहा जाता है।
वर्णनकर्ता: जब पूछताछ पूरी हो जाती है, तो मैंबर आपसे या आपके वकील से यह बताने के लिए कहता है कि आपके विचार से आपके शरणार्थी दावे को क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे ओरल सब्मिशन कहा जाता है। सब्मिशन, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का सारांश होता है, तथा यह स्पष्टीकरण होता है कि देश की जानकारी और कानून आपकी परिस्थितियों से किस प्रकार संबंधित हैं।

मैंबर आपसे या आपके काउंसल से सुनवाई के अंत में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

यदि इम्मिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कैनेडा या कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज़ एजेंसी आपकी सुनवाई में भाग ले रही है, तो मैंबर उन्हें भी आपके केस पर अपना पक्ष रखने का अवसर देता है।

वर्णनकर्ता: RPD मैंबर ही आपके शरणार्थी दावे पर निर्णय लेगा।

मैंबर आपकी सुनवाई के अंत में आपको निर्णय और उसके कारण बता सकते हैं। या उन्हें आपके साक्ष्य और गवाही पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
यदि आपको तुरंत निर्णय बताना संभव नहीं है, तो यह आपको बाद में प्रदान किया जाता है।

ककिसी भी स्थिति में, आपको निर्णय की सूचना प्राप्त होगी जो आपको यह निर्णय बताएगी कि आपका दावा स्वीकार किया गया है या अस्वीकार किया गया है।

वर्णनकर्ता: यदि आपको अपने शरणार्थी दावे पर नेगेटिव निर्णय प्राप्त होता है, और आप इससे सहमत नहीं हैं, तो आप अपना निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रेफ्यूजी अपील डिवीज़न या (RAD) को नोटिस ऑफ अपील दायर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, IRB वेबसाइट पर रेफ्यूजी अपीलज़ सेक्शन पर जाएं और शरणार्थी अपील दायर करें पर जाएं।

यदि आप RAD में अपील करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कानूनी सलाह लेना अच्छा विचार है।

वर्णनकर्ता: यदि आप RAD में अपील करने के योग्य नहीं हैं, तो आप फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में लीव और जुडिशियल रिवियु के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीश आपके दावे पर RPD के निर्णय की समीक्षा करेंगे।

जुडिशियल रिवियु के लिए आवेदन करने की सख्त समय-सीमाएं हैं। यदि आप जुडिशियल रिवियु के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको यथाशीघ्र कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

वर्णनकर्ता: आपके निर्णय की सूचना आपके अपील अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगी।

वर्णनकर्ता: यह सुनिश्चित करें कि आपकी सुनवाई के बाद भी आपकी संपर्क जानकारी IRB के पास अप टू डेट है।

वर्णनकर्ता: शरणार्थी दावा प्रक्रिया की अप टू डेट जानकारी के लिए, IRB की वेबसाइट पर जाएं या सामान्य पूछताछ के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1-833-931-5121 पर कॉल करें।
वर्णनकर्ता: आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारे *कॉन्टैक्ट अस* पेज पर भी जा सकते हैं, जहां आपको यह जानकारी मिलेगी कि दस्तावेज कहां जमा करें और यदि आपके कोई प्रश्न हों तो हमसे कैसे संपर्क करें।